अपील सूचना अधिकार संख्या 08/2019 (RCMS 2019/00023) राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक श्रीगंगानगर बनाम जिला पंजीयन अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

01.07.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुए। उसे सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसने जिला पंजीयन अधिकारी, श्रीगंगानगर से अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 22.10.2018 से 04 बिन्दुओं पर सूचना चाही थी। जिला पंजीयन अअधिकारी, श्रीगंगानगर ने उसे बिन्दुवार सूचनाएं निर्धारित अवधि में नहीं दी गई है जबकि 30 दिवस के अन्तर्गत उसे सूचना उपलब्ध करवाना जाना आवश्यक था। इसलिए उसकी अपील स्वीकार की जाकर वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें प्रार्थी उक्त तर्कों पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 22.10.2018 के द्वारा कुल 04 बिन्दुओं की सूचना चाही थी जो उसे लोक सूचना अधिकारी एवं जिला पंजीयन अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा बिन्दुवार उपलब्ध न करवाने के कारण यह अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा अपने सूचना के अधिकार प्रार्थना पत्र में निम्न सूचनाएं चाही थी :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

1. स्टाम्प वेण्डर श्री महेन्द्र छाबड़ा द्वारा 20/– व 10/– रूपये का स्टाम्प दिनांक 08.04.2000 को श्रीमती गंगा देवी पत्नी श्री भगवान दास, निवासी 23 के ब्लॉक श्रीगंगानगर को बेचे जाने पर क्रमांक 403 पर दर्ज रजिस्टर को जिस कार्यालय में जिस दिवस, जिस पत्र से जमा करवाया, उस कार्यलय के पदाधिकारी का नाम, पद की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि, जिस दिवस जमा करवाना व जिस फीस जमा करवाया, उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।
2. रूपये 20/– का स्टाम्प जिस व्यक्ति को दिया, उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति, नाम व पता की सूचना
3. रूपये 30/– का स्टाम्प जिस व्यक्ति को दिया, उस स्टाम्प अधिनियम की धारा की सूचना व प्रमाणित प्रति।
4. स्टाम्प प्राप्त करने वाले को स्टाम्प जिस प्राधिकार पत्र से दिया गया, उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।

उक्त सूचनाओं के सम्बन्ध में **जिला पंजीयन अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक रीडर/19/205 दिनांक 04.02.2019 से अपीलार्थी को** निम्न प्रकार से **उत्तर दिया गया है :**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि प्रार्थी श्री राधेश्याम गोयल द्वारा प्रस्तुत आर.टी.आई. के जवाब हेतु मूल ही प्रार्थना पत्र इस कार्यालय के क्रमांक 2422 दिनांक 11.11.2018 से कार्यालय उपमहानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, हनुमानगढ को भिजवाया गया था जिसका बिन्दुवार जवाब उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, हनुमानगढ के पत्रांक सू.अ./2783 दिनांक 04.12.2018 से प्रार्थी श्री राधेश्याम गोयल को प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुवार सूचना का जवाब निम्नानुसार दिया गया है (प्रति संलग्न) :

1. श्री महेन्द्र छाबड़ा, मुद्रांक विक्रेता, श्रीगंगानगर का दिनांक 03.04.2000 का रजिस्टर इस कार्यालय में जमा होने से संबंधित कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।

2. बिन्दु संख्या 2,3,4 उक्त रिकॉर्ड से संबंधित सूचना है। चूंकि उक्त रिकॉर्ड इस कार्यालय में जमा होना नहीं पाया गया, इसलिए सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती।

उक्त विषय में यह भी उल्लेखनीय है कि संबंधित स्टाम्प रजिस्टर से संबंधित एक अन्य पत्रावली इस कार्यलय में विचाराधीन है जिसमें कार्यालय उप पंजीयक, श्रीगंगानगर द्वारा सन् 2000 का स्टाम्प रजिस्टर, जिला कलक्टर कार्यालय में जमा होना बताया है जिसकी बाबत संबंधित शाखा (सामान्य शाखा) से पीठासीन अधिकारी द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु लिखा गया है। टिप्पणी श्रीमान्जी की सेवा में सादर प्रेषित है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

-Sd-
जिला पंजीयक
श्रीगंगानगर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।**

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का सम्बन्धित अभिलेख उनके कार्यालय में जमा होने से सम्बन्धित कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इसलिए उनके द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 04.12.2018 से दिया गया उत्तर सही है, जिसमे किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

आदेश की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं जिला पंजीयन अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 01.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर